राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः– 2328–62 दिनांक 05/11/2024

परिपत्र

विषय :–फैसलशुदा प्रकरणों की सूचना संबंधित थाने पर ई:मेल करने के सम्बन्ध मे ।

यह ध्यान में लाया गया है कि माननीय न्यायालयों में केस डायरी प्रस्तुत करते समय केस डायरी में आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड में अंकित मुकदमों की नवीनतम स्थिति अंकित नहीं की जा रही है ना ही उन प्रकरणों के निर्णय के संबंध में कोई सूचना केस डायरी पर अंकित की जा रही है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा एस.बी. आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र नं0 8388/2024 आजाद बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 21.10.2024 तथा 24.10.2024 को पारित आदेश की पालना में न्यायालय मे पैरवी करने वाले अभियोजन विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके न्यायालय मे किसी भी प्रकरण मे निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् निर्णय की सूचना को तत्काल सम्बन्धित पुलिस थाने को जरिये ई–मेल प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे और जिससे आरोपियों के विषय मे थाने के रिकॉर्ड मे सूचना अद्यतन कर ली जावे। उक्त निर्देश की कठोरता से पालना की जावे। संबंधित उप निदेशक अभियोजन प्रत्येक माह उक्त सूचना का पर्यवेक्षण करेंगे।

आज्ञा से
05/11/24

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. वरिष्ठ सचिव, अति. मुख्य सचिव गृह, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राजस्थान.।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर
4. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान
5. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर
6. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान
7. समस्त संयुक्त/उप निदेशक/सहायक निदेशक/ अभियोजन अधिकारी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान

05/11/24

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।